—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 84/2024

उनवान

पूसा पुत्र गबूरा जाति ढोली निवासी ग्राम ढाल, नसीराबाद
—— वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :— 1 जरियें राज. पैरोकार

2. शम्भू पुत्र गबूरा (फौत) तर्क
3. सायरी पत्नी गबूरा (फौत) तर्क
4. सांवरा पुत्र दयाल,
5. दुर्गा पुत्री दयाल,
6. रघुवीर पुत्र दयाल समस्त जाति ढोली, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 4 से 6 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 24.10.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढाल के हाल खाता संख्या 456/455 किता 6 रकबा 1.38 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी है। उक्त आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की जाति ढोली के स्थान पर त्रुटिपूर्ण तरीके से खटीक अंकित कर दी। जिस कारण नाना किस्म के विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की जाति ढोली अंकित करने के आदेश पारित करावे। इस आशय की आज्ञप्ति बहक वादी जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी में वादी व अन्य सहखातेदार की जाति ढोली है। जाति दुरूस्त करने से राजहित प्रभवित नही होता है। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम तर्क किया गया व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण [illegible] नही की गयी। अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:27 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पर मनन किया। ग्राम ढाल के खाता संख्या 456/455 किता 6 रकबा 1.38 की आराजी में वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की जाति खटीक अंकित है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 1807 बने है। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 433 में वंर्किग खसरा नम्बर 1807 रकबा 8–10–0 की आराजी गबूरा पुत्र आम्बा जाति ढोली के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजीजरियें विरासत वादी व अन्य वारिसान के नाम अंकित की गयी जिसमें भी वादी व अन्य वारिसान की जाति ढोली अंकित है। हाल राजस्व अभिलेख में वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की जाति ढोली के स्थान पर त्रुटिपूर्ण तरीके से खटीक अंकित कर दी गयी है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा के साबिक राजस्व अभिलेख से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की जाति त्रुटिपूर्ण सिद्व होती है। वाद के कथनो की ताईद होती है। वादी जाति दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम ढाल के खाता संख्या 456/455 किता 6 रकबा 1.38 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की जाति खटीक के स्थान पर ढोली अंकित की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पूसा बनाम राज. सरकार
दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 84/2024
पेश करने की दिनांक – 09.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम ढाल के खाता संख्या 456/455 किता 6 रकबा 1.38 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की जाति खटीक के स्थान पर ढोली अंकित की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक–––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखेत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २५ माह 10 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:31:27 IST
Reason: SelfAttested